

# कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा/प्रार/पीएसपी/ए/मूल मान्यता/19654/2019-20/

दिनांक:- 25/6/19

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा(मुख्यालय), समस्त  
जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा(मुख्यालय), समस्त


विषय:-गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं को शैक्षिक सत्र 2019-20 में नवीन मान्यता/ क्मोन्नति आदि हेतु संशोधित टाईम फ्रेम बाबत।  
प्रसंग:-राज्य सरकार का पत्र क्रमांक पं.9(5) शिक्षा-5/ऑनलाईन मान्यता/2019-20 जयपुर दिनांक 24.06.2019

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के संबंध में लेख है कि गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं को शैक्षिक सत्र 2019-20 में नवीन मान्यता/क्मोन्नति आदि हेतु संशोधित टाईम फ्रेम निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	गतिविधि	टाईम फ्रेम	संबंधित कार्यालय
01.	ऑनलाईन आवेदन को लॉक करना एवं आवेदन की हार्ड कॉपी संबंधित जिशिअ कार्यालय में जमा करवाना (अतिरिक्त विलम्ब शुल्क मा.वि. एवं उ. मा.वि. तथा प्रा.वि एवं उ.प्रा.वि हेतु क्रमशः 10000 एवं 5000 के डिमाण्ड ड्राफ्ट)	28 जून, 2019 तक	संबंधित संस्था
01.	आवेदन पत्रों की जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जांच सत्यापन दलों का गठन एवं संस्थाओं का भौतिक सत्यापन	8 जुलाई, 2019 तक	संबंधित जिशिअ कार्यालय
02.	जिशिअ द्वारा फाईल जांच कर ऑनलाईन निदेशालय को फॉरवर्ड कर हार्ड कॉपी जमा करवाना		संबंधित जिशिअ कार्यालय
02.	मान्यताओं का निदेशालय से अनुमोदन किया जाना	18 जुलाई, 2019 तक	संबंधित निदेशालय
04.	संस्थाओं के मान्यता के योग्य पाए जाने की स्थिति में आरक्षित कोष की राशि के डी.डी. व फिक्सड डिपोजिट का विवरण व दस्तावेज प्राप्त करना।	22 जुलाई, 2019 तक	संबंधित जिशिअ कार्यालय
05.	मान्यता प्रमाण पत्र जारी कर विद्यालयों को उपलब्ध करवाना		संबंधित जिशिअ, कार्यालय
06.	मान्यता के लिये अपात्र पायी गयी संस्थाओं को पत्र प्रेषित कर सूचित करना एवं एनआईसी के माध्यम से सूचित करना।		संबंधित जिशिअ, कार्यालय
07.	पुनः निरीक्षण हेतु आवेदन शुल्क रुपये 10000/- सहित परिवेदना निदेशक को प्रस्तुत करना (शुल्क का ड्राफ्ट संबंधित निदेशक प्राशि/के नाम)	25 जुलाई, 2019 तक	संबंधित संस्था / निदेशालय
08.	पुनः निरीक्षण के प्रकरणों के निस्तारण की समस्त कार्यवाही सम्पादित करना	31 जुलाई, 2019 तक	संबंधित जिशिअ / निदेशालय




(नथमल डिडेल)  
आई.ए.एस.  
निदेशक  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर



निदेशक  
प्रारम्भिक शिक्षा विभाग एवं  
पंचायती राज (प्रा.शि.) विभाग  
राजस्थान बीकानेर

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही:-

01. श्री विनोद जैन, तकनिकी निदेशक, एन.आई.सी., शिक्षा संकुल जयपुर को पत्र प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्तानुसार पोर्टल पर आवश्यक संशोधन किया जाना सुनिश्चित करें।



(नथमल डिडेल)  
आई.ए.एस.  
निदेशक  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर



निदेशक  
प्रारम्भिक शिक्षा विभाग एवं  
पंचायती राज (प्रा.शि.) विभाग  
राजस्थान बीकानेर